

19/5  
25/5

पत्रावली पेश। वकील वादी हाजिर।  
पत्रावली में पूर्व में भी वकील  
वादी को अंतिम दिवायत दी गई  
थी कि आगामी पेशी पर तामिल  
की रसीदें पेश करें, अन्यथा आदेश  
नुमिथम 5 के तहत आदेश पारित किया  
जायेगा लेकिन वकील वादी ने आज  
दिनांक तक तामिल की रसीदें पेश  
नहीं की। अतः वादी का वाद आदेश

9 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फैसलें शुमार होकर नम्बर से  
कम होकर दाखिल दफतर हो।

उपपण्ड अधिकारी  
दातारामगढ़ (सीकर)